नई दिल्ली में 22 दिसम्बर, 2014 को आयोजित राष्ट्रमंडल देशों की महिला सांसदों की विचारगोष्ठी में 'महिलाओं की भारत के विकास में केंद्रीय भूमिका है' विषय पर माननीय अध्यक्ष महोदय का उद्घाटन भाषण

सर्वप्रथम मैं संसद की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं। राष्ट्रमंडल देशों की महिला सांसदों की विचारगोष्ठी के इस गरिमापूर्ण अवसर पर आपके बीच आकर मुझे वास्तव में प्रसन्नता हो रही है।

वर्ष **1989** में अपनी स्थापना के समय से ही राष्ट्रमंडल देशों की महिला सांसदों का यह संघ, महिलाओं के संबंध में विभिन्न दृष्टिकोणों और विचारों पर चर्चा करने, मंत्रणा करने और विचार-विनिमय करने के एक मंच के रूप में उभरकर सामने आया है। आज की इस विचारगोष्ठी का विषय है 'भारत के विकास में महिलाओं की केंद्रीय भूमिका है'।

महिलाएं के आदिकाल से सृजन के केन्द्र में रही हैं। महिला शक्ति रचनात्मक है। जब मानव घूमंतु था तो सबसे पहले महिला ने ही परिवार की परिकल्पना को साकार किया। परिवार के आधार पर ही गांव, फिर समाज, फिर राष्ट्र का निर्माण हुआ जिसकी धुरी महिलाओं पर टिकी हुई है। आज के आधुनिक युग में भी परिवार ही समाज की मूलभूत ईकाई है जिसका आधार महिला है। इस परिस्थिति में यह कहना कि महिलाएं राष्ट्र ही नहीं अपितु विश्व के निर्माण के केन्द्र में हैं, अतिशयोक्ति नहीं होगी।

2. किसी भी सभ्यता के उत्कृष्ट होने का पता इससे लगता है कि वह सभ्यता महिलाओं को कितना सम्मान देती है। महिलाएं धर्म और जीवन का अभिन्न अंग हैं। भारतीय पौराणिक कथा के अनुसार शक्ति मूल ऊर्जा स्रोत है और शक्ति से ही शिव का आधार है। शिवशक्ति अथवा अर्द्धनारीश्वर की अवधारणा यह सिद्ध करती है कि नर और नारी अलग नहीं है बल्कि वे एक दूसरे के पूरक हैं। वे दोनों समान गुण, क्षमता और ऊर्जा से भरे हुए हैं। धर्म की दृष्टि में नर और नारी एक समान हैं।

3. जब हम महिलाओं के सशक्तीकरण की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करना एवं उन्हें अपने तरीके से जीवन जीने का हक देना। सशक्तीकरण का अर्थ उनके राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानव जीवन के अन्य आयामों के साथ-साथ उन्हें शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक रूप से स्वतंत्र बनाना है। महिला सशक्तीकरण किसी भी समाज के आधुनिकीकरण का रास्ता खोलती है। सामाजिक भय, पीड़ा, उनके प्रति हिंसा का प्रतिकार पूरे जोर-शोर से किए जाने का साहस

उनमें पैदा करने की आवश्यकता है ताकि वे समाज में सशक्त महिला के रूप में अपनी पहचान बनाएं।

4. महिला सशक्तीकरण केवल सरकारी योजनाओं के आधार पर नहीं हो सकता। हमारे समाज में आज भी महिलाओं के प्रति जो सोच है, वह रूढ़िवादिता के दायरे से बाहर नहीं निकल पाई है। महिला सशक्तीकरण को प्राप्त करने का सबसे बड़ा हथियार शिक्षा है। शिक्षित समाज ही महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की बात को गंभीरता से लेता है।

5. आज महिला चिकित्सा, शिक्षा, इंजीनियरी, उद्यमिता इत्यादि के क्षेत्र में सफलता के नए आयाम स्थापित कर रही हैं। भारत और अन्य देशों के कार्पोरेट क्षेत्र में भी भारतीय महिलाओं की उपलब्धियां उल्लेखनीय रही हैं। खेल के क्षेत्र में भी भारतीय महिलाओं ने असाधारण सफलता हासिल की है। महिला कार्यबल की बढ़ती संख्या ने हमारी आर्थिक विकास दर में महत्वपूर्ण योगदान किया है और इसे गति प्रदान की है। वर्तमान विकास दर पर, वर्ष **2015** तक वेतनभोगी वर्ग में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग **22.28** प्रतिशत के स्तर पर पहुंच सकती है, जो कि सर्वोत्तम स्तर होगा।

6. हमारा विश्वास है कि महिलाओं को सशक्त बनाने का सबसे कारगर तरीका उन्हें शिक्षित करना है। जैसाकि कहा जाता है जब आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप एक परिवार को शिक्षित करते हैं। हमने शिक्षा का विस्तार करने के लिए गम्भीर प्रयास किए हैं और प्राथमिक शिक्षा जैसे कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया है। **2015** से पहले प्राथमिक शिक्षा में लड़कों और लड़कियों के नामांकन अनुपात **100** प्रतिशत के आंकड़े तक पहुंचने की संभावना है। हमें महिलाओं के लिए कौशल विकास पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा।

7. महिलाओं के सशक्तीकरण में मीडिया की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मीडिया में महिलाओं से संबंधित सरोकारों को प्राथमिकता के आधार पर दिखाए जाने की आवश्यकता है। सिनेमा, विज्ञापन एवं टी.वी. पर महिलाओं की जो छवि प्रस्तुत की जाती है वह चिंताजनक है। कार्यक्रमों में जिन महिलाओं ने विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी लगन और प्रतिभा का उपयोग करते हुए अपने-आपको साबित करते हुए सफलता का परचम लहराया है, उनकी खबरों को दिखाना चाहिए। ऐसी खबरों से उनका हौसला बढ़ता है और मनोवैज्ञानिक तौर पर वे सशक्त होकर समाज के सामने आती हैं।

8. महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी का सहारा लेने की आवश्यकता है। तमिलनाडु में ई-कॉमर्स के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं द्वारा बनाए गए

उत्पादों को उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जा रहा है। तकनीक के इस्तेमाल से आंध्र प्रदेश में भी ग्रामीण महिलाओं के स्व-सहायता समूहों ने अपने उत्पादों को देश में ही नहीं परंतु विदेशों में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों तक पहुंचाया है। मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले के आदिवासी इलाके में सोलर कूकर को प्रचलन में लाकर उन महिलाओं के इपधन संबंधी आवश्यकता की पूर्ति कर दी गई। हमें कृषि तकनीक को भी जेंडर न्यूट्रल बनाना है ताकि महिलाएं उनका उपयोग आसानी से कुशलतापूर्वक कर सकें। हमारे देश में **90** प्रतिशत महिलाएं ग्रामीण एवं असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत हैं। इनका कार्य हैंडीक्राफ्ट्स, सिलाई, बीड़ी बनाना, कपड़ा बुनना इत्यादि है। सूचना तकनीक के उपयोग के माध्यम से उनकी आय में बढ़ोत्तरी की जा सकती है।

महिलाएं राष्ट्र निर्माण के कार्य में अपना प्रत्यक्ष योगदान तभी कर पाएंगी जब वे सुरक्षित होंगी। महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों को रोकने के लिए जीपीएस टेक्नोलॉजी युक्त परिवहन व्यवस्था, पुलिस स्टेशनों का आपस में सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से जोड़ा जाना, अपराधियों के आंकड़ों का केन्द्रीय संग्रहण एवं उनकी व्याख्या इत्यादि महत्वपूर्ण कदम हैं।

9. महिलाओं के विकास से संबंधित जिन अन्य क्षेत्रों पर हमने ध्यान केन्द्रित किया है वे हैं पोषण, स्वास्थ्य परिचर्या और परिवार नियोजन। महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए हमें उन्हें महामारी, संक्रमणकारी, संचारी ओर यौन रोगों के बारे में अधिकाधिक जानकारी प्रदान करना होगा जिससे वे स्वास्थ्य परिचर्या का लाभ उठा सके। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए हम प्रसूति केंद्रों पर सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं।

10. मित्रो, जैसा कि हम सब जानते हैं, महिलाओं की संवर्धित भागीदारी महिला सशक्तीकरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। महिलाओं की हिस्सेदारी को हमें विधायिका में स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय तीनों स्तरों पर बढ़ाना है। देश की आधी आबादी की लोकसभा में लगभग **12%** प्रतिनिधित्व है। इसलिए महिला सांसदों को यह सुनिश्चित करना होगा की महिलाओं से सम्बंधित मुद्दों पर वे सतर्क और सजग रह कर महिला हितों का संरक्षण और संवर्धन करें. विभिन्न कानूनों पर संसद में बहस के दौरान महिला हितों की अनदेखी न हो यह भी उनकी जिम्मेदारी है। जागरूक और सफल जनप्रतिनिधि का उदहारण प्रस्तुत कर वे और महिलाओं की राजनीति में हिस्सेदारी का मार्ग प्रशस्त कर सकती हैं। भारत के संविधान में महिलाओं के लिए पंचायतों और नगरपालिकाओं के स्थानीय निकायों में एक-तिहाई सीटों का आरक्षण दिया गया है जिससे स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने में उनकी भागीदारी के लिए मजबूत नींव रखी गई है। हमारे देश में, शासन के उच्चतम पदों पर अत्यधिक प्रतिष्ठित

महिलाएं रही हैं। इस बार सोलहवीं लोक सभा के लिए **62** महिला सांसद चुनकर आयी हैं जबकि आम चुनावों में महिलाओं के मतदान की प्रतिशतता **65.63** रही। वर्तमान में, स्थानीय स्वशासन के लिए लगभग **15** लाख महिला प्रतिनिधियों का चयन होता है, जो विश्व में सबसे अधिक है। वर्ष **2005** से, सरकार ने *जेन्डर बजटिंग* आरंभ की है जो कुल बजट परिव्यय का लगभग **6%** है।

11. संसद के स्तर पर वर्ष **1997** में महिला सशक्तीकरण संबंधी संयुक्त संसदीय समिति गठित की गई है। समिति महिलाओं से संबंधित सभी क्षेत्रों में समानता की स्थिति और गरिमा प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा किए गए उपायों और महिलाओं के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों संबंधी रिपोर्टों की जांच करती है।

12. हम सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करते हैं। महिलाएं देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके, इसके लिए हम सकारात्मक उपाय करते हैं। मैं एक बार फिर दोहराना चाहूंगी कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सबसे पहली आवश्यकता पारम्परिक सामाजिक सोच से 'मुक्ति' है। साथ ही महिलाओं को उत्पीड़न, कुपोषण, ख़राब स्वास्थ्य, अशिक्षा अथवा अल्प शिक्षा, आर्थिक निर्भरता से भी मुक्ति दिलानी है और हम सहभागी सशक्त महिला की संकल्पना के प्रति पूर्णतः वचनबद्ध हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ, मुझे विचार गोष्ठी का शुभारंभ करते हुए अपार प्रसन्नता हो रही है और मैं आशा करती हूं कि यहां जो विचार विमर्श होगा वह हमारी महिलाओं को और भी सशक्त बनाएगा।

धन्यवाद।